File No:- 12018/01/2016-Admin I(B) (Part II)
Government of India
NITI Aayog
Administration IB
***************

Sansad Marg, New Delhi
Dated 05th of November, 2018

## OFFICE MEMORANDUM

---

Subject:- Gazette notification of RRs for the Knowledge & Innovation Hub (KIH) posts of SRO/RO/EO and Joint Adviser/Deputy Adviser.

The undersigned is directed to convey that RRs for the Knowledge & Innovation Hub (KIH) Posts of SRO/RO/EO and Joint Adviser/Deputy Adviser have been notified under the Gazette of India vide GSR No.314 dated 24th September,2018. A copy of the same is forwarded herewith for information:

(Gulveena Badhan)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel:011-23042509

To:-

1. JS(Establishment), DoPT, North Block, New Delhi-110001.
2. The Secretary, UPSC, Shahjahan Road, New Delhi-110069
3. Addl. Principal Secretary to PM, PMO, North Block, New Delhi
4. Ministry of Law( Legislative Department), Legislative-I Section, Shastri Bhavan, New Delhi-110001
5. Lok Sabha Secretariat( for the Committee on Subordinate Legislation)
6. Rajya Sabha Secretariat (for the Committee on Subordinate Legislation)
7. Ministries/Departments as per the Annexure

(Gulveena Badhan)
Under Secretary to the Govt. of India

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstance in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
|---|---|
| (12) | (13) |
| Not applicable | Consultation with UPSC is not necessary. |

[F. No . I-12013/9/2015-AD(CD)]

SURENDRA THAKUR, Under Secy.

## नीति आयोग

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2018

**सा.का.नि. 314**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और योजना आयोग (ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी) भर्ती नियम, 1985, योजना आयोग (अनुसंधान अधिकारी) भर्ती नियम, 1991 और योजना आयोग आर्थिक अधिकारी भर्ती नियम, 2012 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, नीति आयोग में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी और आर्थिक अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**–

(1) इन नियमों का नीति आयोग संक्षिप्त नाम ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी और आर्थिक अधिकारी, समूह-क तथा समूह-ख पद भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**–पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) तक में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्र सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पदों की संख्या |
|---|---|
| (1) | (2) |
| ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी/अनुसंधान अधिकारी/आर्थिक अधिकारी | 44*<br>*(2018)<br>कार्यभार के आधार पर परिवर्तित हो सकता है।<br><br>**नोटः** वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी और आर्थिक अधिकारी के स्तर पर पदों की कुल संख्या चवालीस है और प्रत्येक स्तर पर प्रचालित किए जाने वाले पदों की संख्या आवेदकों की पात्रता के आधार पर निर्धारित की जाएगी। |

| वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन पद अथवा गैर-चयन पद |
|---|---|---|
| (3) | (4) | (5) |
| ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी और अनुसंधान अधिकारीः<br>सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय।<br>आर्थिक अधिकारीः सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय | ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारीः वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 11<br><br>अनुसंधान अधिकारी : वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10<br>आर्थिक अधिकारी : वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 | लागू नहीं होता |

| सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा | सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं |
|---|---|---|
| (6) | (7) | (8) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| परिवीक्षा की अवधि, यदि हो | **भर्ती की पद्धतिः** सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत |
|---|---|
| (9) | (10) |
| लागू नहीं होता | मिश्रित पद्धति द्वारा [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालीन संविदा भी है) प्रोन्नति] |

| प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा |
|---|
| (11) |
| मिश्रित पद्धति द्वारा [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालीन संविदा भी है) प्रोन्नति]<br>**वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी**<br>केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारियों से- |